18.7.15

वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन चलाने के निर्देश नहीं है अतएव आदेश No Instructions में पारित फरमाया जावे। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर आवेदन No Instructions में पारित किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसल शुमार होकर नस्ती की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ